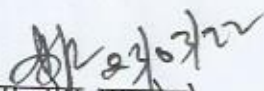
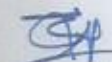


वन स्वरूप भूमि प्रभावित न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पीलीभीत में पीलीभीत बस्ती मार्ग के किमी 0 6 से लिपुलेक भिण्ड मार्ग के किमी 0 372 तक पीलीभीत बाईपास निर्माण में पीलीभीत-मैलानी रेल खण्ड के चैनेज 258/11 एवं 258/12 के मध्य दो लेन रेल उपरिगामी सेतु के कार्य में प्रस्तावित 0.1021 हे० संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। उक्त के अतिरिक्त परियोजना में चिन्हित वन स्वरूप की कोई भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।


(सन्तोष पाण्डेय)

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, पीलीभीत

()
प्रभागीय निदेशक,
सा० वा० प्रभाग, पीलीभीत
सामाजिक वानिकी प्रभाग
पीलीभीत